भारत संघ और अन्य

बनाम

सी. दिनकर, आई. पी. एस. और अन्य

अप्रैल 20,2004

[वी. एन. खरे, सीजे , एस. बी. सिन्हा और डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानूनः दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946-धारा 4 ए (केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 26 द्वारा संशोधित)-सी. बी. आई. (वरिष्ठ पुलिस पद) भर्ती नियम, 1996-नियुक्ति-सी. बी. आई निदेशक का पद, -वरिष्ठ की उपेक्षा करते हुए कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति - विनीत नारायण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के उल्लंघन के रूप में नियुक्ति पर प्रश्न लगाया गया और संसदीय अधिनियम द्वारा अनुमोदित-न्यायाधिकरण ने कहा कि नियुक्ति निर्देशों के अनुसार नहीं है-अपील पर अभिनिधीरित किया गया : नियुक्ति न्यायोचित नहीं है-निर्देशों के साथ असंगत नियमों में प्रक्रिया-संसदीय अधिनियम द्वारा अनुमोदित किए गए निर्देश और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद, नियम नहीं बचेंगे-हालाँकि, पीड़ितों के साथ-साथ नियुक्त व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के बाद से कोई राहत नहीं दी गई है।

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 136 – क्षेत्राधिकार दायरा – अभिनिर्धारित, क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, न्यायालयपरमादेश की प्रकृति में या रिट जारी नहीं कर सकता है।

सीबीआई के निदेशक पद पर पदोन्नति के लिये एक पैनल तैयार किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 हालांकि सबसे वरिष्ठ अधिकारी था, लेकिन उसे पैनल में शामिल नहीं किया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 6 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। प्रतिवादीनंबर 1 ने नियुक्ति को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी और आरोप लगाया कि नियुक्ति उनके मामले को नजरअंदाल करके की गई थी और इसकी प्रक्रिया विनीत नारायण और अन्य में निदेशक, सीबीआई की गई थी और यह कि इसकी प्रक्रिया विनीत नारायण और बनाम भारत संघ और अन्य, [1998] 1 एससीसी 226, में सीबीआई निदेशक की नियक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशो का स्पष्ट उल्लंघन थी। न्यायाधिकरण ने निय्क्ति को रद्द करने और न्यायालय के निर्देश के आलोक में चयन की नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने वाले आवेदन को स्वीकार किया। रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने बह्मत से प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ फैसला सुनाया।

इस न्यायालय मे अपील में अपीलकर्ता-राज्य ने तर्क दिया कि संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बनाये गये सी. बी. आई. (वरिष्ठ पुलिस पद) भर्ती नियम, 1996 को अमान्य घोषित नहीं किये जाने के कारण, उसके प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक था और वह न्यायालय के निर्देशों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है, इसिलये दोनों को प्रभावी किया जाना चाहिये; कि निर्देशों को विधायिका द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 (बाद में संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के रूप में अधिनियमित) के प्रख्यापन द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 में संशोधन करते हुए धारा 4 को प्रतिस्थापित करके और धारा 4 ए को सम्मिलित करके अनुमोदित किया गया है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तर्क दिया कि इस तथ्य के बावजूद कि वह सेवानिवृत्त हो गया है, न्यायालय को निर्देश देना चाहिए कि उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से निदेशक, सी. बी. आई. के पद पर पदोन्नत किया जाए ताकि उसे परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ मिल सकें।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1. सी. बी. आई. में निर्धारित प्रक्रिया। (विरष्ठ पुलिस पद) भर्ती नियम, 1996 विनीत नारायण मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ असंगत है। उक्त निर्देश संसद द्वारा इस संबंध में कानून बनाये जाने तक जारी किए गए थे। एक बार संसदीय अधिनियम के कारण, निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित हो जाने के बाद, 1996 के नियम टिक नहीं पायेंगे। [478 - डी-एफ]

विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1998] 1 एससीसी 226 को संदर्भित किया ।

- 1.2 . प्रथम प्रतिवादी और आर-6 भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसलिए पहले प्रतिवादी के पक्ष में कोई राहत नहीं दी जा सकती, जैसा कि उसने प्रार्थना की थी, क्योंकि सभी इरादे और उद्देश्य के लिए न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश निष्फल हो गये है। यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, भारत संघ को पूर्वव्यापी प्रभाव से पहले प्रतिवादी को निदेशक, सी. बी. आई. के रूप में नियुक्त करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, पहले प्रतिवादी को कभी भी सूचीबद्ध नहीं किया गया था और इसलिए, निदेशक के पद पर उसकी नियुक्त के संबंध में निर्देश जारी करने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता था। [479 डी-एफ]
- 2. न्याय के हित में, उन अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है जो इस आशय के लिये पात्र है कि आमतौर पर सीबीआई निदेशक की सेवानिृति की तारीख पर सेवा में वरिष्ठतम चार बैचों के सभी आईपीसी अधिकारी, पैनल में शामिल होने के बावजूद, वे निदेशक, सीबीआई के पद पर नियुक्ति के लिये विचार करने के पात्र होंगे। स्पष्टीकरण से समिति को बड़ी संख्या में अधिकारियों के मामलो पर

अनावश्यक रूप से विचार नहीं करना पडेगा और आगे चलकर संबंधितप्राधिकारी की शिक्त के संभावित दुरूपयोग या मनमाने प्रयोग के लिये एक इन्सुलेशन के रूप में कार्य करेगा। इसिलए, यह निर्देश दिया जाता है कि जहां तक दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4 ए में उल्लिखित वरिष्ठता का संबंध है, आमतौर पर सीबीआई निदेशक की सेवानिवृतिकी तारीख पर सेवा में वरिष्ठम चार बैचो के सभी आईपीए अधिकारी, चाहे उनका पैनल कुछ भी हो, निदेशक, सी. बी. आई. के पद पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र होंगे। यह निर्देश अधिनियम की धारा 4 ए के स्पष्टीकरण की प्रकृति में है। [479 - ए-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 4303/2002

डब्ल्यू. पी. सं. 5765 /2001 (एस. कैट) में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.10.2001 से

सोली जे. सोराबजी, अटॉर्नी जनरल, ध्रुव मेहता और पी. परमेश्वरन, अपीलार्थियों के लिए।

प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय वी. एन. खरे, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था। रिट याचिका संख्या 5765/2001 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निण्रय दिनांक 11.10.2001 से व्यथ्ता और असंतुष्ट होकर भारत संघ ने हमारे समक्ष अपील की है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने ओ.ए. नंबर 1020/1999 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बैंगलोर पीठ द्वारा पारित दिनांक 8.2.2001 के आदेश की पृष्टि की है।

यहां पहला प्रतिवादी 1963 बैच की भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) का सदस्य था। यद्यपि उन्हें निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) के निदेशक के पद पर पदोन्नित के लिये उनके दावे पर विचार करने के लिये सबसे विरष्ठ अधिकारियों में से एक कहा जाता था, लेकिन उनके मामले को नजरअंदाज करते हुए, श्री आर. के. राघवन, प्रतिवादी संख्या 6 को इसमें नियुक्त किया गया था। विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य, [1998] 1 एस. सी. सी. 226 में निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये उक्त नियुक्ति और समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। प्रथम प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए गठित समिति को जांच और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यो में उनकी वरिष्ठता, सत्यनिष्ठा और अनुभव के आधार पर आई. पी. एस. अधिकारियों का एक पैनल तैयार करना आवश्यक था। हालाँकि,

अंतिम चयन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से किया जाना था। यहां पहले प्रतिवादी का नाम अपीलार्थी द्वारा तैयार किए गए पैनल में निदेशक सीबीआई के पद पर पदोननति के लिये उनके मामले पर विचार करने के उद्देश्य से शामिल नहीं किया गया था। आई. पी. एस. अधिकारियों के पैनल को समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था, जिसमें 33 आई. पी. एस. अधिकारियों के नाम शामिल थे, जिनमें से 17 अधिकारियों के पास भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में अपेक्षित पृष्ठभूमि या अनुभव नहीं था। शेष 16 अधिकारियों में से तीन नामों का एक पैनल समिति द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी ने अन्य बातो के अलावा, तथाकथित योग्य अधिकारियों के पैनल में शामिल करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया पर इस आधार पर सवाल उठाया कि यह विनीत नारायण के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्देशों के विपरीत और असंगत थी। हालाँकि, केंद्र सरकार का रुख यह था कि ऐसी प्रक्रिया इस न्यायालय के निर्देशों के पूरक थी जो कि फैसले की तारीख, अर्थात 18.12.1997 तक सी. बी. आई. के निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पहले से ही अस्तित्व में थी। कथित रुख, चुप्पी के सिद्धांत पर या उसके आधार पर लिया गया था, जिसे विनीत नारायण (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बताया नहीं था।

अन्य बातो के साथ साथ, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष विचार के लिये जो प्रश्न उठा, वह यह था कि क्या विनीत नारायण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का तब तक सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है जब तक कि विधायिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता और एक उपयुक्त कानून द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।

न्यायाधिकरण ने पहले प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदन की स्वीकार करते हुये सातवें प्रतिवादी की नियुक्ति को रद्द करते हुए और विनीत नारायण (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में चयन की एक नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिये निदेशक, सी. बी. आई. के पद से संबंधित वैधानिक नियमों या कार्यकारी निर्देशों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश पर अपीलार्थी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके सवाल उठाया गया, जिसे रिट याचिका संख्या 5765 /2001 के रूप में चिन्हित किया गया था। इसमें प्रथम प्रतिवादी ने भी न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त कुछ निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसे रिट याचिका संख्या 6361 /2001 के रूप में चिन्हित किया गया था।

यह मामला उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसमें अशोक भान, न्यायाधिपति (उस समय न्यायाधीश के के रूप में) और चिदानंद उल्लाल, न्यायाधिपति थे। विद्वान न्यायाधीशो ने दिनांक 8.2.2001 को एक आदेश देते समय अपनी राय में असहमति जताई। जबिक भान, न्यायाधिपति ने माना कि छठे प्रतिवादी की सीबीआई के निदेशके के रूप में निय्क्ति इस न्यायालय द्वारा जारी नियमो और निर्देशों के साथ आधिकारित ज्ञापन दिनांक 20/5/1998 के अनुसार थी; उल्लाल, न्यायाधिपति ने इसके विपरीत माना। कर्नाटक उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के बीच में मतभेद को ध्यान में रखते हुए, मामला अंततः कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था। विद्वान न्यायाधीश अपने दिनांक 11.10.2001 के निर्णय के संदर्भ में न्यायमूर्ति उल्लाल के दृष्टिकोण से सहमत थे, हालांकि विभिन्न कारणों से।

श्री सोली जे. सोराबजी, विद्वान महान्यायवादी, की ओर से पेश अपीलार्थियों ने अन्य बातों के अलावा, उच्च न्यायालय के विवादित बहुमत के फैसले पर हमला किया, यह तर्क देते हुए कि इसमें प्रथम प्रत्यर्थी ने सी. बी. आई. (विरष्ठ पुलिस पद) भर्ती नियम, 1996 (इसके बाद '1996 के नियम' के रूप में संदर्भित) की प्रयोज्यता पर सवाल नहीं उठाया और मुख्य रूप से इस आधार पर मूल आवेदन दायर किया कि केंद्र में पुलिस

महानिदेशक (डी. जी. पी.) के रूप में उनके पैनल में शामिल होने के बावजूद उन्हे बाहरी कारणों से नियुक्त नहीं किया गया था, जो तर्क सही नहीं पाया गया । विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि 1996 के नियम जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए थे, विशेष रूप से उस श्रेणी के लिए प्रदान किए गए थे जिससे निदेशक, सी. बी. आई. के पद पर पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण उन अधिकारियों में से किया जाना था जिन्हें भारत सरकार के तहत डी. जी. पी. के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई थी और इस प्रकार, न्यायाधिकरण की टिप्पणियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के बह्मत निर्णय से यह पता चलता है कि इस न्यायालय के निर्देश सी. बी. आई. निदेशक की नियुक्ति को विनियमित करने वाले उन आई. पी. एस. अधिकारियों में से चयन के बाद के चरणों तक सीमित किया जाना चाहिए जिन्हें पहले ही संबंधित चयन समिति द्वारा केंद्र में डी. जी. पी. के पद के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका था, यह गलत है। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, इस न्यायालय के निर्देशों को संवेदनशील पद को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की द(ष्टि से सीबीआई के निदेशक के चयन की प्रक्रिया में एक अतिरिक्त कदम के रूप में माना जाना चाहिए था।

श्री सोराबजी ने प्रस्तुत किया कि संवैधानिक प्रावधानो के तहत बनाए गए नियमो को अमान्य घोषित नहीं किया गया है, इसलिए उनके प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है और किसी भी स्थिति में क्योंकि इसके प्रावधान विनीत नारायण (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्देशों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकते हैं; दोनों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

विद्वान महान्यायवादी ने यह भी आग्रह किया कि तीसरे माननीय न्यायाधीश ने अतिरिक्त कारणों से न्यायम् ति उल्लाल की राय से सहमत होने में त्रुटि की है कि इस तरह की आवश्यकता को केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 के रूप में विधायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करते हुए धारा 4 को प्रतिस्थापित करके और उसमें धारा 4 ए को शामिल करके प्रख्यापित किया गया, क्योंकि इस न्यायालय के निर्देशों को मुख्य रूप से लागू करने की मांग की गई थी; और यहां तक कि इसके संदर्भ में 1996 के नियमों को स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया गया था।

यहां प्रथम प्रतिवादी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ था, ने हमारा ध्यान उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की ओर आकर्षित किया था और कहा था कि इस तथ्य के बावजूद कि वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, इस न्यायालय को निर्देश देना

चाहिए कि उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से निदेशक, सी. बी. आई. के पद पर पदोन्नत किया जाए ताकि उन्हें परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ मिल सकें।

श्री दिनकर ने आग्रह किया कि इस न्यायालय ने विनीत नारायण (उपरोक्त) में इस बात पर प्रकाश डाला कि सी. बी. आई. ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसके लिए एक स्वतंत्र समीक्षा समिति (आई. आर. सी.) के गठन की आवश्यकता थी। यदि विनीत नारायण (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का इरादा होता कि 1996 के नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, तो उसने यह निर्देश नहीं दिया होता कि मामले पर एक स्वतंत्र समिति द्वारा विचार किया जाए, जिस पर 1996 के नियमों के तहत विचार नहीं किया गया था। उन्होंने आगे यह भी आग्रह किया कि इस मामले को देखते हुये, विनीत नारायण (उपरोक्त) में 'चुप्पी ' के सिद्धांत को लागू करना गलत नहीं होगा।

विनीत नारायण (ऊपर) एक जनिहत याचिका के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका से उत्पन्न हुए। इस न्यायालय ने 1993 में हुई रिट कार्यवाही की शुरुआत के बाद से सी. बी. आई. और अन्य सरकारी एजेंसियों के कामकाज से संबंधित कई आदेश पारित किए थे, जिन्होंने इस न्यायालय के अनुसार निरंतर परमादेश के सिद्धांत का सहारा लेकर प्रकट किए गए

अपराधों की जांच करने के लिए अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया था। यह देखा गयाः

"..... इस न्यायालय ने प्रासंगिक नियमों के साथ साथ आईआरसी के कामकाज पर भी ध्यान दिश, इसके बावजूद पैरा 26 पैरा 30 में सीबीआई के इतिहास, एकल निर्देश के निर्देश संख्या 4.7(3) की वैधता में अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार किया गया और साथ ही इस कारण से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां बताती है:

अनुच्छेद 141 के आधार पर कानून के प्रभाव वाले आदेश देने के लिये अनुच्छेद 32 सपठित अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त पर्याप्त शक्तियां है और सभी अधिकारियों को इस न्यायालय के आदेशों की सहायता में कार्य करने का आदेश दिया गया है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 144 में प्रदान किया गया है। इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला में, इस शिक्त को मान्यता दी गई है और यदि आवश्यक हो तो शून्य को भरने के लिये आवश्यक निर्देश जारी करके तब तक प्रयोग किया जाता है जब तक विधायिका इस अंतर को

कवर करने के लिय कदम नहीं उठाती है या कार्यपालिका अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करती है।"

यह देखते हुये कि इस न्यायालय ने भारतके संविधान के अनुच्छेद 32 सपठित 142 के तहत अपनी शिक्त का प्रयोग करते हुये बडी संख्या में मामलो में दिशा निर्देश जारी किये थे, यह माना गया कि इसमें दिये गये निर्देशों का तब तक कठोर अनुपालन आवश्यक है जब तक कि विधायिका उचित कानून द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिये कदम उठाती है। इसके बाद अपेक्षित निर्देश जारी किये गये तो रिपोर्ट किये गये फैसले के पैरा 58 में शामिल है।

उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित फैसले में कहा कि सी. बी. आई. के पद पर नियुक्ति आई. पी. एस. के उन अधिकारियों के बीच से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जा सकती है जिन्हें आई. पी. एस. नियमों के संदर्भ में विनियमित भारत सरकार के तहत डी. जी. पी. के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया है। उच्च न्यायालय ने आगे ध्यान दिया कि केंद्र सरकार ने विनीत नारायण (उपरोक्त) के बाद एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

"चयन बोर्ड संबंधित मामले से संबंधित प्रासंगिक नियमो, नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से सिफारिशे करेगा। मामलो पर निर्णय लेगा। स्थापित नीति, प्रथाओं और दिशानिर्देशों से विचलन के संबंध में सिफारिशों को विशेष रूप से एसीसी के ध्यान में उसके कारण बताते हुये लाया जाना आवश्यक है। सी. बी. आई. चयन बोर्ड के निर्णय जिनमें प्रासंगिक नियमों, नीतियों और दिशा-निर्देशों में छूट शामिल है, केवल अनुशंसात्मक होंगे।"

भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 के रूप में ज्ञात अध्यादेश की घोषणा पर ध्यान देते हुए, जो 25.8.1998 को या उसके आसपास लागू हुआ, उच्च न्यायालय ने पाया कि इस न्यायालय के निर्देश स्पष्ट उद्देश्य के साथ जारी किए गए थे। जांच एजेंसियों को कार्यपालिका के बाहरी प्रभावों से बचाने की योजना प्रदान करना, जिससे पता चलता है कि इस न्यायालय ने सी. बी. आई. की पूरी संरचना और कार्यप्रणाली की सावधानीपूर्वक और पूरी तरह से जाँच करने के निर्देश जारी किए थे और प्रक्रिया में सुधार और नवीनता लाने और उसे सफल बनाने की और राजनीति की बेहतरी के लिए नए विचार की आवश्यकता महसूस की थी।

यह विवाद में नहीं है कि विनीत नारायण (उपर्युक्त) में फैसले के आधार पर अपीलार्थी ने उपरोक्त अध्यादेश की घोषणा करके हस्तक्षेप किया और इस प्रकार, 1996 के नियमों के रूप में एक अधीनस्थ विधान

अस्तित्व में नहीं रहेगा क्योंकि अध्यादेश में निदेशक, सी. बी. आई. के पद पर चयन की प्रक्रिया का प्रावधान है।

यह विवाद में नहीं है कि संसद ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 को अधिनियमित करने वाले उक्त अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसे 11.9.2003 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। उक्त अधिनियम की धारा 26 के कारण, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन किया गया था जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

- "26. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में -
- (क) धारा 1 के बाद निम्नितिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्ः
- 1 ए. यहाँ उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ और पिरभाषित नहीं हैं लेकिन केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में पिरभाषित शब्दो और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें उस अधिनियम दिये गये हैं;
- (ख) धारा 4 के लिए, निम्निलिखित धाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः

- 4 (1) जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किये गये कथित अपराधो की जांच से संबंधित है, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण आयोग में निहित होगा।
- (2) उप-धारा (1) में अन्यथा दिए गए प्रावधानो को छोडकर, अन्य सभी मामलों में उक्त पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित होगा।
- (3) उक्त पुलिस प्रतिष्ठान का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त एक अधिकारी (इसके बाद निदेशक के रूप में संदर्भित किया गया है) में निहित होगा, जो उस पुलिस प्रतिष्ठान के संबंध में एक महानिरीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्तयों का प्रयोग करेगा। किसी राज्य में पुलिस बल के संबंध में पुलिस की संख्या, जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।
- 4 ए. (1) केंद्र सरकार निम्नलिखित से बनी समिति की सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति करेगी-
- (क) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष;
- (ख) सतर्कता आयुक्त सदस्य

- (c) भारत सरकार के सचिव, केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का प्रभारी - सदस्य;
- (घ) सचिवालय मंत्रिमंडल में सचिव (समन्वय और लोक शिकायते) - सदस्य।
- (2) उप-धारा (1) के तहत कोई भी सिफारिश करते समय समिति निवर्तमान सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखेगी।
- (3) समिति अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।
- (ए) भ्रष्टाचार विरोधी मामलो की जांच में वरिष्ठता, सत्यिनष्ठा और अनुभव के आधार पर; और
- (बी) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत गठित भारतीय पुलिस से संबंधित अधिकारियों में से चुना गया

निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु।"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि नियमों में निर्धारित प्रक्रिया है कि नियमों में निर्धारित पिक्रिया विनीत नारायण (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ असंगत। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, उक्त निर्देश संसद द्वारा इस संबंध में लंबित कानून के तहत जारी किए गए थे। एक बार संसदीय अधिनियम के कारण, निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो यह तर्क देना बेकार है कि 1996 के नियम अभी भी बने रहेंगे। पैनल तैयार करने के उद्देश्य से समिति की संरचना धारा 4ए की उप-धारा (1) में निर्धारित की गई है। अधिकारियों का एक पैनल तैयार करके सिफारिश करते समय, समिति को न केवल निवर्तमान निदेशक के विचारों को ध्यान में रखना है, बल्कि यह अधिनियम की धारा 4ए की उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी) पर भी आधारित होगा।

हालाँकि, यह हमें सलाह देता है कि यदि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 4 ए के संदर्भ में सभी योग्य आई. पी. एस. अधिकारियों पर विचार करने की आवश्यकता है, तो यह व्यावहारिक कठिनाइयों को जन्म दे सकता है। यह विवाद में नहीं है कि निदेशक, सी. बी. आई. के पद को एक बेहतर पद माना जाता है। यह एक कार्यकाल का पद है और इसके लिए निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी को किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है या अपने पद पर वापस भेजा जा सकता है। यद्यपि वरिष्ठता एक मानदंड है लेकिन योग्यता निर्विवाद रूप से एक निर्णायक भूमिका निभाएगी जिसे अन्य प्रासंगिक विचारों, अर्थात् भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में जांच में ईमानदारी और अनुभव के साथ निर्धारित करने की आवश्यकता है।

इसलिए हम महसूस करते हैं कि न्याय के हित में, उन अधिकारियो की वरिष्ठता के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता है जो इस आशय के विचार के लिए पात्र हैं कि आम तौर पर सेवामें वरिष्ठतम चार बैचो के सभी आईपीएस अधिकारी सीबीआई निदेशक की सेवानिवृत्ति की तारीख, उनके पैनल में शामिल होने के बावजूद, निदेशक, सीबीआई के पद पर नियुक्ति के लिये विचार के लिये पात्र होंगे। उपरोक्त स्पष्टीकरण, हमारी सुविचारित राय में, समिति को बडी संख्या में अधिकारियों के मामलों पर अनावश्यक रूप से विचार करने के लिये प्रेरित नहीं करेगा और आगे संबंधित प्राधिकारी की शक्ति के संभावित द्रपयोग या मनमाने ढंग से प्रयोग के लिए एक बचाव के रूप में कार्य करेगी। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि जहां तक अधिनियम की धारा 4ए में उल्लिखित वरिष्ठता के संबंध है, आमतौर पर सीबीआई निदेशक की सेवानिवृति की तारीख पर सेवा में वरिष्ठतम चार बैचो के सभी आई. पी. एस. अधिकारी चाहे उनका पैनल कुछ भी हो, सी. बी. आई. निदेशक पद पर नियुक्ति के विचार के लिये पात्र होंगे । यह निर्देश अधिनियम की धारा 4 ए के स्पष्टीकरण की प्रकृति में है। विद्वान महान्यायवादी ने उक्त निर्देश पर सहमति व्यक्त की।

इस प्रश्न पर आते हुये कि पहला प्रतिवादी किस राहत का हकदार है, हम पाते है कि प्रथम प्रतिवादी और श्री राघवन भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसिलए, हमारी राय है कि प्रथम प्रतिवादी के पक्ष में कोई राहत नहीं दी जा सकती है, जैसा कि उसने प्रार्थना की थी, क्योंकि सभी इरादे और उद्देश्य के लिए न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश निष्फल हो गये है। यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, भारत संघ को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पहले प्रतिवादी को निदेशक, सी. बी. आई. के रूप में नियुक्त करने का निर्देश देने के लिये या परमादेश की प्रकृति में रिट जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, पहले प्रतिवादी को कभी भी सूचीबद्ध नहीं किया गया था और इसिलए, निदेशक के पद पर उसकी नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी करने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता था। इसिलए हम उपरोक्त सीमा तक अपील के तहत आदेश और निर्णय को संशोधित करते हैं।

उपरोक्त संशोधन के साथ, अपील का निस्तारण किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

अपील निस्तारित की गई।

के. टी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।